इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 508] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2014—कार्तिक 9, शक 1936

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

क्र. एफ 10-37-2014-सत्रह-मेडि.-2.—जैसा कि, विष अधिनियम, 1919 (1919 का 12) की धारा-8 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार नियमों का एक प्रारूप, राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-10-37-2014-सत्रह-मेडि-2 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 28 मई 2014 को उन समस्त व्यक्तियों की जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है जानकारी के लिए तथा आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने के लिये प्रकाशित किया गया था, और जैसा कि नियमों के उक्त प्रस्ताव पर इसके मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन की अवधि में कोई आपत्ति तथा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है,

अतः विष अधिनियम, 1919 (1919 का 12) की धारा 8 की उपधारा (1) सहपठित धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्न नियम बनाती है:—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विष (कब्जा और विक्रय) नियम, 2014 है.

(2) इनका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है विष अधिनियम, 1919 (1919 का 12);

(ख) ''व्यापारी'' से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति;

(ग) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप.

(घ) ''अनुज्ञापन प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है जिले का जिला मजिस्ट्रेट जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर करता है;

(ङ) "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है अनुज्ञप्ति का धारक;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) "विक्रय" से अभिप्रेत है कोई विक्रय जो,—

(एक) एक अनुज्ञप्त व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को; अथवा

(दो) किसी अनुज्ञप्त व्यापारी द्वारा किसी शैक्षणिक संस्था को; अथवा

(तीन) किसी शोधकर्ता को; अथवा

(चार) अर्हित चिकित्सा व्यवसायी (रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर) के अधीन किसी चिकित्सा संस्था अथवा अस्पताल अथवा औषधालय को; अथवा

(पांच) किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक संस्था या औद्योगिक फर्म (जो उसके स्वयं के उपयोग के लिए विष की अपेक्षा करें); अथवा

(छह) सरकारी विभागों को; अथवा

(सात) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को; अथवा

(आठ) निजी उपयोग के लिए व्यक्ति को;

किया जाए.

3. **विषों की सूची.**—अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषों की सूची को इन नियमों के प्रयोजन के लिए विष समझा जाएगा.

4. **अनुज्ञप्ति के बिना विष के विक्रय अथवा कब्जे का प्रतिषेध.**—जब तक कि अधिनियम के उपबंधों के अधीन छूट न दी गई हो, कोई भी व्यक्ति, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विष का विक्रय नहीं करेगा अथवा विक्रय के लिए कब्जे में नहीं रखेगा सिवाय इसके जबकि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा विक्रय या कब्जे में रखा जाना प्ररूप-क में उसे प्रदत्त अथवा नवीनीकृत अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन तथा उसके अनुसार हो.

5. **कारबार के स्थान पर नियमों का संप्रदर्शन.**—इन नियमों की एक प्रति नियम 4 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट कारबार के प्रमुख स्थान पर संप्रदर्शित की जाएगी.

6. **अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीनीकरण के लिए आवेदन.**—(1) प्रत्येक व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने या अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किए जाने का इच्छुक हो, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्ररूप-ख में लिखित में आवेदन करेगा और ऐसे आवेदन पर सौ रुपये का न्यायालय शुल्क स्टाम्प लगा होगा :

परन्तु अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन पर, यदि अनुज्ञप्ति समाप्त होने की तारीख से तीन मास से कम अवधि पूर्व किया जाता है, पांच सौ रुपए का न्यायालय शुल्क स्टाम्प लगेगा.

(2) किसी आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान करना या उसका नवीनीकरण करना जिला मजिस्ट्रेट के विवेकाधीन होगा जिसका विनिश्चय उस पर अन्तिम होगा.

(3) जबकि मूल अनुज्ञप्ति खो जाए या नष्ट हो जाए तो अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति (डुप्लीकेट) के लिए लिखित में आवेदन किया जाएगा और जिस पर पांच सौ रुपये का न्यायालय शुल्क स्टाम्प लगा होगा.

(4) अनुज्ञप्तिधारी के कारबार के स्थान में किसी परिवर्तन की दशा में अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को नवीन आवेदन किया जाएगा और ऐसे आवेदन पर पांच सौ रुपए का न्यायालय शुल्क स्टाम्प लगेगा.

(5) अनुज्ञप्तिधारी, कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर अपनी अनुज्ञप्ति प्रदर्शित करेगा.

7. **अनुज्ञप्ति की अवधि.**—नियम 8 तथा नियम 9 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए इन नियमों के अधीन प्रदान की गई या नवीनीकृत की गई किसी अनुज्ञप्ति की कालावधि उसके जारी करने के दिनांक से पांच वर्ष रहेगी.

8. **अनुज्ञापन प्राधिकारी का स्वविवेक.**—कोई अनुज्ञप्ति किसी भी समय रद्द या विखण्डित की जा सकेगी. अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना/नवीनीकरण/रद्दकरण/विखण्डन अनुज्ञापन प्राधिकारी के विवेकाधीन होगा :

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी, आवेदक को या अनुज्ञप्तिधारक को उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई किए जाने के लिए कारण बताने का, यदि कोई हो अवसर देगा. अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी अनुज्ञप्ति को देने से इंकार करने या नवीकरण या अनुज्ञप्ति को निरस्त या प्रतिसंहृत करने के लिए कारणों को अभिलिखित करेगा :

परन्तु यह कि जब नई अनुज्ञप्ति देने हेतु आवेदन रद्द कर दिया जाता है या अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार कर दिया जाता है या अनुज्ञप्ति निरस्त या प्रतिसंहृरत कर दी जाती है और आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश से व्यथित है, तो आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को अपील फाईल कर सकेगा.

9. **अनुज्ञप्ति का पर्यवसान किया जाना.**—अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारक की मृत्यु होने पर या फर्म या कंपनी के समापन होने या ऐसी फर्म या कंपनी के कारबार के स्थानान्तरण होने पर समाप्त हो जाएगी :

परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी फर्म या कंपनी के रूप में कारबार किया जा रहा है ऐसा कारबार संबंधित कारबार करने वाली कंपनी को उस रूप में स्थानान्तरित करता है और अन्तरणकर्ता नवीन अनुज्ञप्ति हेतु अन्तरण की तारीख से 14 दिन के भीतर एक सौ रुपये के न्यायालय स्टाम्प शुल्क के साथ आवेदन करता है तो विद्यमान अनुज्ञप्ति तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि नवीन अनुज्ञप्ति नहीं दे दी जाती है या नवीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता.

10. **अनुज्ञप्ति के पर्यवसान, प्रतिसंहृरण या रद्दकरण होने पर स्टाक का निपटारा.**—नियम 8 के अधीन अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहृरण या रद्धकरण की दशा में या नियम 9 के अधीन अनुज्ञप्ति के पर्यवसान होने की दशा में, विष के स्टॉक को किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञप्ति के ऐसी समाप्ति, प्रतिसंहृरण या रद्दकरण की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर विक्रय कर सकेगा. यदि विष का पूरा स्टाक विक्रय नहीं होता है तो शेष विष अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश से नष्ट किया जा सकेगा. विक्रय के आगम, यथास्थिति, मृतक अनुज्ञप्तिधारक के विधिक प्रतिनिधि को या विघटित की गई फर्म या कंपनी के परिसमापक अथवा फर्म या कंपनी के अन्तरिती को सौंप दिए जाएंगे.

11. **विष तथा रजिस्टर का निरीक्षण करने की शक्ति.**—कोई मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया उप निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी या नायब तहसीलदार की रैंक से अनिम्न श्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी या सहायक सर्जन से अनिम्न श्रेणी का कोई मेडिकल आफिसर या औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 21 के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, किसी भी समय अनुज्ञप्ति धारक के परिसर में प्रवेश कर सकेगा, जहां कि विष विक्रय हेतु रखा है तथा इसमें पाए गए समस्त विष का और इन नियमों के अधीन संधारित रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकेगा तथा निरीक्षण पुस्तिका में अपनी टिप्पणी, अभिलिखित करेगा जो कि इस प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति धारक द्वारा रखी जाएगी.

12. **अनुज्ञप्ति किसे दी जाएगी.**—(1) अनुज्ञप्ति केवल उसी व्यक्ति को दी जाएगी जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में विष का कारबार करने में सक्षम हो.

(2) अनुज्ञप्ति, स्वामी के नाम से जारी की जाएगी या अनुज्ञप्ति यदि किसी फर्म या कंपनी को जारी की जाती है तो वह कंपनी के भागीदारों या निदेशकों के नाम से ही होगी. अधिकृत प्रतिनिधियों के नाम, यदि कोई हो, भी इसमें वर्णित किए जाएंगे.

(3) इस प्रकार दिए गए नाम या नामों को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा फर्म या कंपनी से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर परिवर्तित या संशोधित किया जा सकेगा. ऐसा आवेदन एक सौ रुपये के न्यायालय स्टाम्प शुल्क पर होगा.

13. **विष का विक्रय.**—(1) विष का प्रत्येक विक्रय, यथासंभव अनुज्ञप्ति धारक को व्यक्तिशः किया जाएगा अथवा जहां अनुज्ञप्ति धारक कोई फर्म या कंपनी है वहां ऐसी फर्म या कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या उसके पर्यवेक्षण में किया जाएगा.

(2) इन नियमों के अधीन विष का विक्रय तथा आधिपत्य के लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति धारी कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट परिसरों से विष का भण्डारण तथा विक्रय करेगा.

14. **व्यक्ति जिसे विष का विक्रय किया जा सकेगा.**—(1) कोई अनुज्ञप्तिधारक, इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारक से भिन्न किसी व्यक्ति को विष का विक्रय तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह उसे स्वयं न जानता हो या जिसकी पहचान किसी शासकीय विभाग द्वारा जारी पहचान फोटो कार्ड उसके द्वारा प्रस्तुत करने से उसका समाधान हो जाता है जिसमें उसका पता हो या जिसकी पुष्टि दस्तावेज में दिए गए पते से होती हो तथा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राजस्व) द्वारा प्ररूप-ग में जारी की गई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत की हो. वह विष का विक्रय करने के पूर्व क्रेता का नाम, दूरभाष (टेलीफोन) क्रमांक तथा पता और वह प्रयोजन जिसके लिए विष क्रय किया जा रहा है भी अभिनिश्चित करेगा, वह किसी ऐसे व्यक्ति को विष का विक्रय नहीं करेगा जिसके बारे में उसे यह प्रतीत होता है कि वह 18 वर्ष से कम आयु का है या ऐसे व्यक्ति को भी जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसे अपनी पूर्ण मानसिक स्थिति का ज्ञान नहीं है.

(2) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी, प्ररूप-ग में अनुज्ञा पत्र में नामित विष का विक्रय उसमें विनिर्दिष्ट मात्रा के सिवाए नहीं करेगा. अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अनुज्ञा के साथ-साथ उपरोक्त उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट क्रेता द्वारा प्रस्तुत किये गये पहचान पत्र की फोटोप्रति रखी जाएगी.

(3) प्ररूप-ग में अनुज्ञा प्राप्त करने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति, प्ररूप-घ में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राजस्व) को लिखित में आवेदन करेगा. अनुज्ञा, जारी होने की तारीख से एक माह की कालावधि के लिए ही वैध होगी. वैधता की तारीख की समाप्ति के पश्चात् अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु नया आवेदन किया जाएगा.

(4) उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राजस्व) अनुज्ञा दे सकेगा या अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु दिए गए आवेदन को रद्द कर सकेगा :

परन्तु ऐसा आवेदक, जिसका अनुज्ञा के लिए आवेदन इन नियमों के अधीन रद्द कर दिया गया है और जो संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राजस्व) द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, जिला मजिस्ट्रेट को अपील कर सकेगा.

15. **चिकित्सा व्यवसायी या पशुचिकित्सा व्यवसायी द्वारा विष का क्रय अथवा कब्जा.**—इन नियमों में की गई कोई भी बात, किसी चिकित्सा व्यवसायी या पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसके व्यवसाय के वास्तविक उपयोग के लिए अपेक्षित समझे गए किसी विष के क्रय अथवा उसे कब्जे में रखने के लिए लागू नहीं होगी.

16. **विष के विक्रय का रजिस्टर.**—(1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, एक रजिस्टर का संधारण करेगा, जिसमें कि वह किसी रसायनज्ञ और औषध-विक्रेता या कम्पाउण्डर द्वारा किसी अर्हित चिकित्सा या पशु चिकित्सा व्यवसायी के नुस्खे के अनुसरण में उस विष को हटाने या सम्मिलित करने के लिए उपयोग किए गए विष से भिन्न विष के समस्त विक्रय को ठीक-ठीक प्रविष्ट करेगा. प्रत्येक विक्रय के बारे में रजिस्टर में निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) अनुक्रमांक;

(ख) विष का नाम;

(ग) विक्रय की गई मात्रा;

(घ) विक्रय की तारीख;

(ङ) क्रेता का नाम, पता तथा आयु, प्रस्तुत किए गए फोटो पहचान पत्र का अनुक्रमांक तथा उसे जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, अनुज्ञापत्र का क्रमांक तथा तारीख और जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम;

(च) वह प्रयोजन जिसके लिए क्रेता द्वारा विष अपेक्षित है;

(छ) क्रेता के हस्ताक्षर या यदि (पढ़ना नहीं जानता) अशिक्षित है तो निशानी अंगूठा या डाक द्वारा क्रय करने की दशा में प्राप्त पत्र की तारीख तथा उस मूल नस्ती का सन्दर्भ जिसमें कि उसे सुरक्षित रखा गया है; और

(ज) व्यवसायी के हस्ताक्षर.

(2) रजिस्टर के दूसरे भाग में विष से संबंधित कालम में बेचे गए प्रत्येक विष की मात्रा प्रविष्ट की जाएंगी. ये प्रविष्टियां प्रतिदिन की जाएंगी.

(3) रजिस्टर में उपनियम (1) की मद (अ) के अधीन विहित किए गए रजिस्टर में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जब कि अनुज्ञप्तिधारी कोई फर्म या कंपनी है तब विक्रय या प्रेषण के समय ऐसी फर्म या कंपनी का प्राधिकृत प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेगा. ऐसे हस्ताक्षर का यह अर्थ होगा कि हस्ताक्षरकर्ता ने अपना यह समाधान कर लिया है कि उसने नियम 14 की अपेक्षाओं को पूरा कर दिया गया है.

(4) रजिस्टर की मद (छ:) के अधीन संदर्भित समस्त पत्र तथा लिखित आदेश, मूल रूप में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रय की तारीख से कम से कम दो वर्ष की कालावधि के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे.

17. **स्टाक रजिस्टर.**—(1) अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप (ङ) में प्रत्येक विष का एक स्टाक रजिस्टर रखेगा.

(2) स्टाक रजिस्टर में प्रतिदिन का लेखा रखा जाएगा.

18. **औषधि निर्देश (Prescription) का रजिस्टर.**—प्रत्येक औषध रसायनज्ञ तथा औषधी विक्रेता या चिकित्सा व्यवसायी जो स्वयं अपना नुस्खा देते है, प्ररूप-च में औषध निर्देश रजिस्टर संधारित करेंगे.

19. **विक्रय हेतु रखे गये विष की अभिरक्षा तथा उन पात्रों को लेबलिंग करना जिसमें विष रखे हैं.**—किसी भी अनुज्ञप्तिधारक द्वारा नियमों के अधीन विक्रय के लिए रखे गये समस्त विष, बाक्स, अलमारी, कमरा या भवन (संधारित मात्रा के अनुसार) में सुरक्षित रखे जाएंगे जो ताले चाबी द्वारा सुरक्षित होंगे, जिसमें इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति के अनुसार कब्जे में रखे विष से भिन्न कोई पदार्थ नहीं होंगे/रखे जाएंगे तथा प्रत्येक विष कांच, प्लास्टिक, मेटल या मिट्टी के बर्तन में पृथक् से बन्द ऐसे बाक्स, अलमारी कमरे या भवन के भीतर सुरक्षित रखे जाएंगे. प्रत्येक ऐसे बाक्स, अलमारी, कमरा या भवन तथा प्रत्येक ऐसा पात्र लाल अक्षरों में शब्द "विष" दोनों हिन्दी तथा स्थानीय भाषा में अंकित किया जाएगा तथा पृथक विषों को अन्तर्विष्ट करने वाले पात्रों की स्थिति में ऐसे विष का नाम अंकित किया जाएगा.

20. **विष को सुरक्षित बंद पात्र में रखना और लेबल लगाना.**—जब किसी विष का विक्रय किया जाता है तो उसे बंद पात्र या डिब्बे में (मात्रा के अनुसार) ऐसी रीति में सुरक्षित बंद किया जाएगा कि उसमें बंद विष का केवल सील तोड़ने के पश्चात् ही उपयोग किया जा सके और तत्पश्चात् यह सील उपयोग योग्य नहीं रहनी चाहिए. ऐसा प्रत्येक पात्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में विष का नाम देते हुए लाल लेबल से अंकित किया जाएगा. अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता, और उसमें अनुज्ञप्ति क्रमांक, बंद किए जाने की तारीख, समाप्ति की तिथि पात्र में उल्लिखित की जाएगी. उपयोग में बरती जाने वाली सावधानियां भी उल्लिखित की जाएंगी. अनुज्ञा क्रमांक तथा तारीख, शब्द "विष" तथा चेतावनी का नोट कि "यह विष मानव जीवन के लिए हानिकारक है तथा बच्चों की पहुंच से दूर रखें" भी उल्लिखित किया जाएगा. क्रेता अपनी स्वयं की जवाबदारी पर इस विष का भण्डारण तथा उपयोग करेगा तथा किसी अन्य द्वारा इस विष के दुरुपयोग की दशा में क्रेता प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी होगा. पात्र पर विश्वव्यापी चेतावनी चिन्ह भी प्रदर्शित किया जाएगा.

21. **उपयोगकर्ता द्वारा (वैयक्तिकों के सिवाय) एसिड/क्षयकारी पदार्थों की सुरक्षा, भण्डारण और आपात प्रबंधन.**—एसिड/क्षयकारी पदार्थों की सुरक्षा, भण्डारण और आपात प्रबन्धन हेतु अपनाए जाने वाले उपायों संबंधी मानक प्रचालन की प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी और उसे मुख्यत: उपयोगकर्ता के परिसरों में प्रदर्शित किया जाएगा.

(एक) **एसिड/क्षयकारी पदार्थों की सुरक्षा.**—(क) कोई व्यक्ति, परिसर में एसिड के कब्जे और उसे सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी/जवाबदेह होगा.

(ख) एसिड/क्षयकारी पदार्थों का भण्डारण व्यक्ति के अधीक्षण में होगा.

(ग) एसिड/क्षयकारी पदार्थों के भण्डारण को और अधिक सुरक्षित रखने के लिए दोहरी ताला (डबल लॉक) प्रणाली अपनाई जाएगी.

(घ) एसिड/क्षयकारी पदार्थ के उपयोग का रजिस्टर संधारित किया जाएगा और उसे प्रत्येक वर्ष अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर तथा दिसम्बर मास में इन महीनों के पांचवें दिन तक संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राजस्व) को प्रस्तुत किया जाएगा. रजिस्टर में निम्नलिखित ब्यौरे उल्लिखित किए जाएंगे:—

(एक) अनुक्रमांक

(दो) एसिड/क्षयकारी पदार्थ का नाम

(तीन) प्रारम्भिक अतिशेष

(चार) प्राप्त की गई मात्रा

(पांच) मात्रा का योग

(छह) उपयोग की गई मात्रा

(सात) उपयोग का प्रयोजन

(आठ) अन्तिम अतिशेष

(नौ) टिप्पणी

(ङ) ऐसी प्रयोगशालाओं/भण्डारण स्थान को छोड़ने वाले छात्रों/कार्मिकों की अनिवार्य जांच की जाएगी जहां एसिड/क्षयकारी पदार्थों का उपयोग/भण्डारण किया जाता है.

(दो) **एसिड/क्षयकारी पदार्थों का भण्डारण.**—(क) रसायनों को प्लास्टिक या अन्य उपयुक्त डिब्बों में रखा जाएगा.

(ख) सभी डिब्बों को रसायनों की पहचान तथा अन्तर्ग्रस्त खतरों को दर्शाने के लिए उन पर लेबल लगाया जाएगा तथा बरती जाने वाली सावधानियों को उल्लिखित किया जाएगा.

(ग) परस्पर विरोधी (असंयोज्य) रसायनों को एक साथ नहीं रखा जाएगा.

(घ) क्षयकारी रसायनों की विवरण सूची न्यूनतम पर रखी जाएगी.

(ङ) जहां कहीं भी उपयुक्त हो, संरक्षात्मक दस्ताने, एप्रॉन, सुरक्षा चश्में तथा मुख-कवच (फेस शील्ड) पहने जाने चाहिए.

(च) एसिड को सावधानीपूर्वक तनुकृत किया जाना चाहिए. सदैव पानी में एसिड मिलाया जाना चाहिए. एसिड में पानी कभी भी नहीं मिलाना चाहिए.

(तीन) **आपात प्रबंधन.**—(क) **त्वचा संपर्क.**—संदूषित वस्त्रों, जूतों तथा चमड़े के सामानों को (उदाहरणार्थ घड़ी के पट्टों, बेल्ट) को शीघ्र दूर हटाएं. अतिरिक्त रसायनों को शीघ्रता से तथा हलके से मिटाएं या झड़ाएं. तुरन्त कम से कम 30 मिनिट के लिए कुनकुने, धीरे-धीरे बहाते हुए पानी से प्रक्षालन करें. **जल घावन (फ्लशिंग) को बीच में न रोंके.** यदि यह सावधानीपूर्वक किया जा सकता है तो अस्पताल जाते समय प्रक्षालन जारी रखें. शीघ्र ही किसी विष-निदान केन्द्र या डाक्टर से संपर्क करें. चिकित्सा अनिवार्य रूप से अपेक्षित है.

(ख) **नेत्र संपर्क.**—सीधे संपर्क से बचें. यदि आवश्यक हो तो रसायन संरक्षात्मक चश्में पहनें. रसायन को शीघ्रता से एवं धीरे-धीरे चेहरे से हटाएं. शीघ्र ही संदूषित नेत्रों को कुनकुने तथा धीरे-धीरे बहते हुए पानी से पलकों को खुला रखते हुए कम से कम 30 मिनट तक प्रक्षालित करें. यदि कान्टेक्ट लेंस का उपयोग करते हैं तो लेंस को प्रक्षालित करने तथा निकालने में देरी न करें. उपलब्ध होते ही यथाशीघ्र न्यूट्रल सलाइन साल्यूशन का उपयोग किया जा सकता है. **प्रक्षालन न रोकें.** यदि आवश्यक हो तो अस्पताल ले जाते समय भी प्रक्षालन जारी रखें.

(ग) **अन्तर्ग्रहण.**—पीड़ित के मुंह को पानी से धुलवाएं. यदि अपने आप उल्टी आए तो अन्दर जाने के जोखिम को कम करने के लिए पीड़ित को आगे की ओर झुका दें. पीड़ित के मुंह को फिर से पानी से धोएं. शीघ्र ही विष निदान केन्द्र या डाक्टर से संपर्क करें. उपचार की तत्काल आवश्यकता है. किसी अस्पताल ले जाएं.

(घ) **अन्तः श्वसन.**—बचाव का प्रयास करने के पूर्व स्वयं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतें (उदाहरणार्थ समुचित संरक्षात्मक उपकरण पहनें). पीड़ित को ताजी हवा में ले जाएं. आराम से श्वसन के लिए आरामदायक अवस्था में रखें. यदि सांस लेने में परेशानी है, तो प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा आपातकालीन आक्सीजन देनी चाहिए. पीड़ित को अनावश्यक रूप से चलने फिरने न दें. पल्मोनरी इडेमा के लक्षण विलंबित हो सकते हैं. शीघ्र ही किसी विष निदान केन्द्र या डाक्टर से संपर्क करें. उपचार की तत्काल आवश्यकता है. किसी अस्पताल ले जाएं.

22. **चूर्णित (पाऊडर्ड) आर्सेनिक का विक्रय.**—कोई अनुज्ञप्तिधारी, किसी चिकित्सा या पशु चिकित्सा व्यवसायी या ऐसे औषध विक्रेता (केमिस्ट) के सिवाय, जिन्हें कि अपने वैध प्रयोजनों के लिए शुद्ध आर्सेनिक की आवश्यकता है किसी व्यक्ति का पूर्णित आर्सेनिक का विक्रय नहीं करेगा.

23. **टेट्राईथाइल लेड का विक्रय तथा विक्रय के लिए अधिभोग (रखना).**—इन नियमों में की कोई भी बात टेट्राईथाइल लेड (या इथाईल फ्ल्यूड) के विक्रय- तथा विक्रय हेतु अधिभोग (रखने) को, जबकि वह पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, लागू नहीं होगी परन्तु निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगाः—

शर्तें

(एक) विष के प्रत्येक केन या पंप पर, पेट्रोलियम में विष की उपस्थिति दर्शित करने वाला लेबल दर्शित किया जाएगा जिससे उपयोगकर्ता को छलकने से बचने हेतु सचेत किया जा सके और मोटर ईंधन (फ्यूल) से भिन्न प्रयोजन के लिए इसका उपयोग प्रतिषिद्ध रह सके;

(दो) मिश्रण को इस प्रकार रंजक बनाया जाएगा जिससे कि मोटर ईंधन से भिन्न उसके उपयोग को नियन्त्रित किया जा सके; और

(तीन) मिश्रण में उक्त विष की मात्रा उसके परिमाण के रूप में 1 भाग बराबर 1800 भाग के अनुपात से अधिक तथा वजन के रूप में 1 भाग बराबर 650 भाग के अनुपात से अधिक नहीं होगी.

24. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों के तत्स्थानी तथा नियमों के प्रवृत्त होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों में आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा प्रवृत्त होने पर विष (मध्यप्रदेश) नियम, 1960 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैंः

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई जब तक कि वह इन नियमों के किसी उपबंधों में से किसी उपबंध से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

प्रथम अनुसूची
(नियम 3 देखिए)

समान (यूनिफार्म) राज्य विष सूची

(एक) एसिड एवं क्षयकारी पदार्थों की सूची:—

1. Acetic acid beyond 25% concentration by weight
2. Acetic anhydride
3. Formic acid beyond 10% concentration by weight
4. Hydrocyanic acid except substances containing less than 0.1% weight in weight of Hydrocyanic Acid.
5. Oxalic acid
6. Perchloric acid
7. Phosphoric acid
8. Hydrochloric Acid beyond 5% concentration by weight
9. Hydrofluoric acid
10. Nitric Acid except substances containing less than 5% weight in weight of Nitric Acid
11. Sulphuric Acid beyond 5% concentration by weight.
12. Ammonia except substances containing less than 5% weight in weight of Ammonia
13. Antimony, compounds of antimony, both organic and inorganic
14. Arsenic, Arsenic white, Arsenic yellow, Red Arsenic, Arsenic sulphide, Copper Arsenite, (Scheole's green), Copper Acetoarsenite(Paris green), Calcium Arsenate, Calcium Arsenite, Copper Arsenate, Potassium Arsenite, Sodium Thioarsenate, Arsenical solution, and acid solution of Arsenic, Arsenic bromide.
15. Chloride of mercury(Corrosive Sublimate)
16. Chloroform except substances containing less than 10% of Chloroform.
17. Formaldehyde (beyond 25% concentration by weight).
18. Hydrogen peroxide (beyond 50% concentration by weight).
19. Lead Acetates Compounds of lead with acids from fixed oils
20. Lead arsenate
21. Mercuric nitrate
22. Mercuric sulphocyanide
23. Mercury
24. Mercury ammonium chloride
25. Mercury chloride, except substances containing less than 1% weight in weight of Mercury chloride.
26. Mercury iodide, except substances containing less than 2% weight in weight of Mercury iodide.
27. Mercury organic, except substances containing less than the equivalent of 0.20 % weight in weight of Mercury (Hg).
28. Mercury oxides of
29. Mercury oxycyanide
30. Mercury potassium iodide except substances containing less than the equivalent of 1% weight in weight of Mercury (Hg).
31. Phenol (beyond 3% concentration by weight).
32. Phenols (any member of the series of phenols of which the first member is phenol and of which the molecular composition varies from member to member by one atom of carbon and two atoms of hydrogen) except substances containing less than 60% weight in weight of Phenol.

33. Phenyl Mercuric acetate except substances containing less than the equivalent of 0.2% weight in weight of Mercury (Hg).
34. Phenyl Mercuric Chloride except substances containing less than the equivalent of 0.2% weight in weight of Mercury (Hg).
35. Phenyl Mercury Urea
36. Potassium Hydroxide except substances containing less than 2% weight in weight of Potassium Hydroxide.
37. Red lead (red oxide of lead)
38. Sodium Hydroxide except substances containing less than 2% weight in weight of Sodium Hydroxide.
39. Sodium Hypochlorite (beyond 5% concentration by weight).
40. White Lead (Lead Carbonate)
41. Zinc Chloride
42. Zinc Phosphide
43. Potassium Fluoride
44. Sodium leaves
45. Sodium Oxalate, Ammonium Oxalate and other metallic Oxalates
46. Di - Nitro Benzene
47. Di - Nitro Cresols, their compounds with a metal or a base.
48. Di - Nitro naphthols, Di – Nitro Phenols, Substituted Di – Nitro Phenols and Di – Nitro Thymols\
49. Di - Nitro toluenes

(दो) अन्य विषों की सूची :—

1. Aconite
2. Alpha naphthythioureas
3. Amition
4. Abrus precatorius, seeds of (Gunj or Rati).
5. Argemona seeds and its oil
6. Barium, Salts of; except Barium sulphate.
7. Belladonna and all preparations and admixtures containing Belladonna except Belladonna plasters and substances containing less than 0.15% of the alkaloids of Belladonna calculated as Hyoscyamine.
8. Cannabis Indian.
9. Chloro-nitrobenzene (ortho-Chloro nitrobenzene, meta-Chloro nitrobenzene para-Chloronitrobenzene)
10. Chrysophanic acid
11. Cresote except substances containing less than 50% weight in weight of Cresote.
12. Croton, oil Seeds of
13. Coculus indicus (Kakamari)
14. Cupric acetate (verdigris).
15. Cyanide of Potassium, Cyanide of Sodium and Cyanide of Calcium
16. Digitalis
17. Dhatura, Seeds and leaves of (Stramonium); all preparations and admixtures containing Dhatura except substances containing less than 0.15% of the alkaloids of Dhatura calculated as Hyoscyamine.
18. Diazinon

19. Dieldrin
20. Dinosab ; its compounds with a metal or a base.
21. Dinosam ; its compounds with a metal or a base.
22. DNOC (Di – Nitro ortho - compound)
23. Endrin
24. Ergot (the sclerotia of any species of claviceps)
25. Ethoxy ethyl mercury chloride
26. Ethyl Mercury Phosphate
27. Heptachlor
28. Hyoscyamus (Henbane or Khurasani AJVAYAN) Leaves
29. Marking Nut (fruit of semicarpus anacardium also known as Bhilawa)
30. Metasystoc
31. Methanol
32. Methyl bromide
33. Nitrobenzene
34. Nuxvomica Seeds of; preparations and admixtures containing Nuxvomica, except substances containing less than 0.2% weight in weight of alkaloids of nuxvomica.
35. Opium; all preparations and admixtures containing Opium except substances containing less than 0.2% of the of morphine calculated as anhydrous morphine.
36. Phenylene diamines, toluene Diamines other alkylated benzene Di amines, their salts
37. Phosphorus Compounds, the following :-
38. Demeton, Methyl Demeton, Hexa Ethyl Tetra Phosphate (HETP); Tetra ethyl Pyrophosphate (TEPP), Ethyl Pyro Phospherethionate (Sulfotepp); Octamethyl Phosphorodiamidic Anhydride (CMPA) or (Schradan), Parathion, Methyl Parathion, Phosdrin, Phostoxin (Hydrogen Phosphide), Gusathion(Guthion), Trithion
39. Phosphorus yellow
40. Poppy all preparations of , expect red poppy petals
41. Sodium mono Fluroacetate
42. Sodium Nitrite
43. Strammonium
44. Strychnine and its salts except substances containing less than the equivalent of 0.2% weight in weight of Strychnine
45. Systox
46. Tartar emetic except substances containing less than the equivalent of 1% of Tartar emetic
47. Tetra Ethyl lead
48. Thallium, salts of
49. Thimet
50. Tri ortho cresol phosphate
51. Warferin
52. Chloro Ortho Toluidine.

टीप.—उपरोक्त किन्हीं विषों से बनने वाले प्रिपरेशन भी उक्त सूची में आएंगे.

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

अनुज्ञप्तिधारी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोग्राफ

विष रखने तथा उसके विक्रय की अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्तिधारी की दुकान का नाम ..... रजिस्ट्रेशन क्रमांक .....

अनुज्ञप्ति क्रमांक ..... मंजूर करने की तारीख ..... दुकान का पूरा पता .....

अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की तारीख .....

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

आत्मज/पत्नी/पुत्री श्री ..... को जो .....

जिले के ..... पुलिस थाने के अन्तर्गत ..... (स्थानीय निकाय का नाम)

के ..... में उपरोक्त पते पर कारबार कर रहे हैं को निम्नलिखित विषों का विक्रय करने के लिए रखने तथा उसके विक्रय करने के लिए एतद्द्वारा अनुज्ञप्त किया जाता है:—

1.

2.

3.

4.

प्राधिकृत प्रतिनिधि का/के नाम ..... यह अनुज्ञप्ति नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी. जिसमें से किसी शर्त के भंग किए जाने पर वह अनुज्ञप्ति जब्त करने के साथ-साथ विष अधिनियम, 1919 (1919 का 12) की धारा 6 के अन्तर्गत उपबंधित शास्ति का दायी होगा.

यह अनुज्ञप्ति उसके मंजूर की जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी जब तक कि अनुज्ञप्ति धारक की मृत्यु हो जाने से पूर्व में पर्यवसित न कर दी जाए अथवा संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा रद्द न कर दी जाए.

हस्ताक्षर

अनुज्ञापन प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट)

सील

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी उसकी अनुज्ञप्ति उसकी दुकान पर रखेगा.

2. अनुज्ञप्तिधारी उसकी दुकान के सामने के किसी सहजदृश्य भाग पर सुपाठ्य अक्षरों में, उस जिले की भाषा में अपना नाम, उसका अनुज्ञप्ति क्रमांक तथा शब्द "विष विक्रय के लिए विक्रय या आधिपत्य की अनुज्ञप्ति" लिखा हुआ सूचना पट्ट (साईन बोर्ड) निरंतर चस्पा करेगा.

3. अनुज्ञप्तिधारी उसके कृत्यों तथा उसके अभिकर्ताओं या सेवकों के समस्त कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा.

4. नियम 8 तथा 9 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भी दिन प्रदान की गई या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त बनी रहेगी. किसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदक अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित आवेदन करेगा तथा ऐसे आवेदन पर सौ रुपए का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होगा. अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए किया गया कोई आवेदन, जो अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख कम से कम तीन माह पूर्व किया गया हो, पर पांच सौ रुपये के न्यायालय शुल्क लगा होगा.

5. कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाने पर या फर्म या कंपनी के परिसमापन पर या ऐसी फर्म या कंपनी के कारबार के अन्तरण पर समाप्त कर दी जाएगी.

6. अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी पर्याप्त कारण से किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत या रद्द कर सकेगा.

7. विष का प्रत्येक विक्रय, जहां तक संभव हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं या जहां अनुज्ञप्तिधारी कोई फर्म या कंपनी है, वहां ऐसी फर्म या कंपनी के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा.

8. (1) इन नियमों के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी से अन्यथा कोई अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को कोई विष तब तक नहीं बेचेगा जब तक कि वह उसे व्यक्तिगत रूप से न जानता हो या जो वह फोटो पहचान प्रस्तुत कर जिसमें कि उसका पता हो अथवा जो उसका पता देने वाला दस्तावेज को सिद्ध कर उसकी पहचान का समाधान न करा दें तथा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राजस्व) द्वारा जारी किया गया अनुज्ञा पत्र (प्ररुप-ग में) प्रस्तुत न कर दे. वह कोई विष विक्रय करने के पूर्व क्रेता का नाम, टेलीफोन नम्बर तथा पता और वह प्रयोजन भी जिसके लिए विष खरीदा गया है सुनिश्चित करेगा. वह किसी ऐसे व्यक्ति को भी किसी विष का विक्रय नहीं करेगा जो उसे अठारह वर्ष की आयु से कम का प्रतीत होता है या किसी ऐसे व्यक्ति को भी जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसे अपनी पूर्ण मानसिक स्थिति का ज्ञान नहीं है.

(2) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी, प्ररूप-ग में अनुज्ञा पत्र में नामित विष का, उसमें विनिर्दिष्ट मात्राओं के सिवाय, विक्रय नहीं करेगा. उपरोक्त खण्ड (1) में यथाविनिर्दिष्ट क्रेता द्वारा प्रस्तुत अनुज्ञा पत्र के साथ-साथ पहचान पत्र की फोटो प्रति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संभालकर रखी जाएगी.

9. (1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें वह किसी औषध-विक्रेता या औषधि मिश्रक (कम्पाउण्डर) द्वारा, किसी अर्हित चिकित्सा या पशुचिकित्सा व्यवसायी के निर्धारण (प्रिसक्रिप्शन) के अनुपालन में उस विष को हटाने या सम्मिश्रित करने के लिए उपयोग किए गए विष से भिन्न विष के समस्त विक्रय की सही रूप में प्रविष्ट करेगा. प्रत्येक विक्रय के संबंध में रजिस्टर में निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट की जाएंगी, अर्थात्:—

(क) अनुक्रमांक;

(ख) विष का नाम;

(ग) विक्रित मात्रा;

(घ) विक्रय की तारीख;

(ङ) क्रेता का नाम, पता तथा आयु, प्रस्तुत किए गए फोटो पहचान पत्र का क्रमांक तथा जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम, अनुज्ञा पत्र का क्रमांक तथा तारीख और जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम;

(च) वह प्रयोजन जिसके लिए क्रेता को विष की आवश्यकता है;

(छ) क्रेता के हस्ताक्षर (या यदि निरक्षर है तो अंगूठा निशानी) या डाक द्वारा क्रय की दशा में प्राप्त पत्र की तारीख तथा उस मूल नस्ती का सन्दर्भ जिसमें कि इसे सुरक्षित रखा गया है; और

(ज) व्यवहारी के हस्ताक्षर.

(2) रजिस्टर के अन्य भाग में और विष के संबंधित कालम में प्रत्येक विक्रीत विष की मात्रा प्रविष्ट की जाएगी. ये प्रविष्टियां दैनिक रूप से की जाएंगी.

(3) रजिस्टर में हस्ताक्षर के कालम (ज) के नीचे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे. जहां कि अनुज्ञप्तिधारी कोई फर्म या कंपनी है, वहां विक्रय के समय या क्रेता को प्रेषण के समय, ऐसी फर्म या कंपनी का प्राधिकृत प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेगा. ऐसे हस्ताक्षर में अंतर्हित धारणा होगी कि हस्ताक्षरकर्ता ने अपना यह समाधान कर लिया है कि नियम 14 की अपेक्षाओं को पूरा कर दिया गया है.

(4) रजिस्टर की मद (छ) के अधीन निर्दिष्ट समस्त पत्र तथा लिखित आदेश, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल रूप में विक्रय की तारीख से कम से कम दो वर्ष की कालावधि के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे.

10. (1) अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप-ङ में प्रत्येक विष के स्कंध (स्टाक) रजिस्टर का संधारण करेगा. स्कंध रजिस्टर प्रतिदिन संतुलित किया जाएगा. प्ररूप-ङ में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी:—

(क) अनुक्रमांक

(ख) स्टाक में अतिशेष

(ग) तारीख

(घ) उस व्यक्ति का नाम एवं पता, जिससे कि मात्रा प्राप्त की गई है

(ङ) प्राप्त की गई मात्रा

(च) योग

(छ) तारीख

(ज) विक्रीत मात्रा

(झ) स्टाक में अतिशेष

(ञ) अभ्युक्तियां

11. कोई दण्डाधिकारी या उप-निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी या नायब तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी अथवा सहायक शल्य चिकित्सक से अनिम्न श्रेणी का राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई चिकित्सा अधिकारी या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 23) की धारा 21 के अधीन नियुक्त कोई निरीक्षक, अनुज्ञप्तिधारी के परिसर में, जहां कि विष विक्रय हेतु रखा गया है, किसी भी समय प्रवेश कर सकेगा तथा उसमें पाए गए सभी विषों तथा इन नियमों के अधीन संधारित रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकेगा तथा किसी निरीक्षण पुस्तिका में जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखी जाएगी, अपनी टिप्पणियां अभिलिखित कर सकेगा.

12. इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रय के लिए रखे गए समस्त विष, सुरक्षित रूप से किसी डिब्बे, अलमारी, कमरा या भवन में (संधारित मात्रा के अनुसार) रखे जाएंगे, और जिसे ताले चाबी द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा जिसमें अधिनियम के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति के अनुसार रखे गए विष से भिन्न कोई पदार्थ नहीं रखा जाएगा तथा प्रत्येक विष सुरक्षित रूप से ऐसे डिब्बे, अलमारी, कमरे या भवन के भीतर एक पृथक् बंद कांच, प्लास्टिक, धातु के पात्र या मिट्टी के बरतन में रखा जाएगा. ऐसे प्रत्येक डिब्बे, अलमारी, कमरे या भवन तथा ऐसे प्रत्येक पात्र पर लाल अक्षरों में शब्द ''विष'' अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा दोनों में लिखा जाएगा तथा पृथक् विषों को अन्तर्विष्ट करने वाले पात्रों की दशा में, ऐसे विष का नाम लिखा जाएगा.

13. जब किसी विष का विक्रय किया जाता है तो उसे बंद पात्र य डिब्बे में (मात्रा के अनुसार) ऐसी रीति में सुरक्षित रूप से बंद किया जाएगा कि उसमें बंद विष की केवल सील तोड़ने के पश्चात् ही उपयोग किया जा सके और तत्पश्चात् यह सील उपयोग योग्य नहीं रहनी चाहिए. ऐसा प्रत्येक पात्र या पुड़िया पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंग्रेजी में तथा स्थानीय भाषा में विष का नाम देते हुए लाल लेबल लगाया जाएगा. अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता, अनुज्ञप्ति क्रमांक, पैकिंग की तारीख, समाप्ति की तारीख उल्लिखित की जाएगी. उपयोग में बरती जाने वाली सावधानियां उल्लिखित की जाएंगी. अनुज्ञा क्रमांक तथा तारीख, शब्द ''विष'' तथा चेतावनी का नोट कि यह विष मानव जीवन के लिए हानिकारक है तथा बच्चों की पहुंच से दूर रखे भी उल्लिखित किय जाएगा. क्रेता अपनी स्वयं की जवाबदारी पर इस विष का भण्डारण तथा उपयोग करेगा तथा किसी अन्य द्वारा इस विष के दुरूपयोग की दशा में क्रेता प्राथमिक तौर पर उत्तरदारी होगा. पात्र पर नियम 20 में यथा विनिर्दिष्ट विश्व-व्यापी चेतावनी चिन्ह भी प्रदर्शित किया जाएगा.

14. अनुज्ञप्तिधारी किसी विष की किसी मात्रा के क्षय या चोरी की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाने को देगा.

15. अनुज्ञप्तिधारी नियमों से सुसंगत ऐसे सभी आदेशों तथा निदेशों का पालन करेगा जो कि अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा दिए जाएं.

16. उपरोक्त वर्णित शर्तों तथा अधिनियम और समय-समय पर अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति धारित की जाएगी.

17. कोई अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह चिकित्सा संबंधी उपयोग के लिए किसी विष को विक्रय करने या कब्जे में रखने का इच्छुक है तो वह सर्वप्रथम औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 18 (ग) के अधीन अपेक्षित की गई आवश्यक अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा.

टीप.—चिकित्सीय उपयोग के लिए विष से अभिप्रेत है औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 3 में यथा परिभाषित कोई औषधि.

प्ररूप-ख
(नियम 6 देखिए)

रु. 100/- का स्टाम्प

प्रति,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,

जिला .....

मध्यप्रदेश.

विष का कब्जे में रखने और विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्ति देने/नवीकरण हेतु आवेदन पत्र :—

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. आवेदक के निवास का पता .....
   .....
4. आवेदक की उम्र .....
5. दुकान/फर्म का नाम .....
6. परिसर का संपूर्ण पता जिसमें दुकान क्रमांक, तल, भूखण्ड क्रमांक, सड़क, दुकान/फर्म का परिक्षेत्र सम्मिलित है जहां विष का भण्डारण और विक्रय करना प्रस्तावित है:—
   .....
   .....
   .....
7. आवेदक का विवरण:—स्वत्वधारी / भागीदारी फर्म / रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी / प्राईवेट लिमिटेड कंपनी / लिमिटेड कंपनी (टिक ✔ का चिन्ह लगाए जो भी लागू हो).
8. भागीदारी विलेख / रजिस्ट्रीकरण / संगम अनुच्छेद के ज्ञापन (मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) की स्वप्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है (टिक ✔ का चिन्ह लगाए जो भी लागू हो).
9. स्वत्वधारी / भागीदारों / निदेशकों के विवरण
   1. नाम .....
   2. पिता / पति का नाम .....
   3. उम्र .....
   4. दूरभाष क्रमांक .....
      (एक से अधिक व्यक्तियों के मामले में विवरण पृथक् शीट में संलग्न किया जाए)
   5. स्वत्वधारी / भागीदारों / निदेशकों की पहचान से संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोप्रति जैसे आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / बैंक खाता / शासकीय पहचान पत्र संलग्न है (टिक ✔ का चिन्ह लगाए जो भी लागू हो).
10. विक्रय के लिए उत्तरदायी फर्म के स्वत्वधारी से भिन्न फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता (यदि कोई हो):—
    .....
    .....
    .....

11. फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि से संबंधित आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / बैंक खाता / शासकीय पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है (टिक ✔ का चिन्ह लगाए जो भी लागू हो).

12. परिसर के रेखांकन (प्लान) की प्रति संलग्न है.

13. परिसर पर आधिपत्य के अधिकार की प्रस्थिति जैसे किराएदारी / स्वयं का / अन्य प्रस्थिति से संबंधित दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न है (टिक ✔ का चिन्ह लगाए जो भी लागू हो).

14. विष का नाम, जिसे कब्जे में रखना और विक्रय करना प्रस्तावित है:—

. . . . . .

15. अनुज्ञप्ति क्रमांक . . . . . और उसकी विधिमान्यता की तारीख . . . . . (नवीकरण के आवेदन के लिए लागू होगा)

16. अनुज्ञप्ति की स्व-प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है (नवीकरण के आवेदन के लिए लागू होगा).

स्थान . . . . . आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर

दिनांक . . . . . .

नोट.—आवेदक पासपोर्ट साईज में स्वयं की तीन फोटो स्व-प्रमाणित कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा.

प्ररूप-ग

[नियम 14(1) देखिए]

विष क्रय करने के लिये अनुज्ञा-पत्र

प्रतिपर्ण (काउण्टर फाईल)

(कार्यालय में रखी जाए)

अनुज्ञा-पत्र क्रमांक . . . . . .

जिसे जारी किया गया उसका नाम एवं सम्पूर्ण पता . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

विष का नाम और मात्रा जिसके लिये अनुज्ञा-पत्र जारी किया गया . . . . . .

. . . . . .

प्रयोजन . . . . . .

. . . . . .

तारीख जिसको जारी किया गया . . . . . .

समाप्ति की तारीख . . . . . .

यदि पूर्व की तारीख के पहले उपयोग नहीं किया तो तारीख . . . . . को अनुज्ञा समाप्त होगी.

जारी करने वाले प्राधिकारी की
मुद्रा तथा हस्ताक्षर

प्ररूप-ग

[नियम 14(1) देखिए]

विष क्रय करने के लिये अनुज्ञा-पत्र

अनुज्ञा-पत्र क्रमांक . . . . . .

जिसे जारी किया गया उसका नाम एवं सम्पूर्ण पता . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

यह अनुज्ञा-पत्र उपरोक्त नाम के व्यक्ति को विष (विष का नाम) . . . . . खरीदने के लिये हकदार बनाता है . . . . . मात्रा से अधिक नहीं . . . . . प्रयोजन . . . . . .

तारीख जिसको जारी किया गया . . . . . .

यह अनुज्ञा-पत्र तारीख . . . . . को समाप्त होगा यदि पूर्व की तारीख . . . . . के पहले उपयोग नहीं किया गया.

जारी करने वाले प्राधिकारी की
मुद्रा तथा हस्ताक्षर

प्ररूप-घ

[नियम 14(3) देखिए]

प्रति,

उप-खण्ड मजिस्ट्रेट,

.....

मध्यप्रदेश.

विष क्रय करने हेतु अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने के लिये आवेदन पत्र :—

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. फर्म / संस्था का नाम .....
4. आवेदक के निवास का पता .....
.....
5. परिसर का संपूर्ण पता जिसमें दुकान नंबर, तल/भूखण्ड क्रमांक, प्लाट नंबर, सड़क, दुकान/फर्म का परिक्षेत्र सम्मिलित है जहां विष को भण्डारित और उपयोग किया जाना प्रस्तावित है:—
.....
.....
.....
6. आवेदक की उम्र .....
7. आवेदक का विवरण:—स्वत्वधारी / भागीदारी फर्म / रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी / प्राईवेट लिमिटेड कंपनी / लिमिटेड कंपनी (टिक ✔ का चिन्ह लगाए जो भी लागू हो).
8. स्वत्वधारी विलेख / रजिस्ट्रीकरण / संगम अनुच्छेद के ज्ञापन की स्वप्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है (टिक ✔ का चिन्ह लगाए जो भी लागू हो).
9. स्वत्वधारी / भागीदारी / निदेशकों का विवरण :—
   (क) नाम .....
   (ख) पिता / पति का नाम .....
   (ग) उम्र .....
   (घ) टेलीफोन नंबर .....
   (एक से अधिक व्यक्तियों के मामले में विवरण पृथक् शीट में संलग्न किया जाए)
10. स्वत्वधारी / भागीदारों / निदेशकों की पहचान से संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोप्रति जैसे आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / बैंक खाता / शासकीय पहचान पत्र संलग्न है (टिक ✔ का चिन्ह लगाए जो भी लागू हो).
11. खरीदने, उपयोग करने, अभिलेखों और रजिस्टरों को संधारित करने और जांचने के लिये फर्म के जिम्मेदार प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता (यदि कोई हो):—
.....
.....
.....
12. फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में जारी किया गया प्राधिकार पत्र संलग्न हैं.

13. फर्म द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि से संबधित आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / बैंक खाता / शासकीय पहचान पत्र की स्व-प्रमाणित फोटोकापी संलग्न है (टिक ✔ का चिन्ह लगाए जो भी लागू हो).

14. परिसर के रेखांकन की प्रति संलग्न है.

15. परिसर पर आधिपत्य के अधिकार की प्रस्थिति से संबंधित दस्तावेजों जैसे किराएदारी / स्वयं का / अन्य प्रस्थिति के दस्तावेज की प्रति संलग्न है (टिक ✔ का चिन्ह लगाए जैसा भी लागू हो).

16. विष का नाम और उसकी मात्रा जिसका क्रय किया जाना और उपयोग किया जाना प्रस्तावित है:—

.....

17. खरीदने का प्रयोजन (विवरण दें)

.....

.....

(आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर)

नोट.—आवेदक पासपोर्ट साईज में स्वयं की तीन फोटो स्व-प्रमाणित कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा.

प्ररूप-ङ

[नियम 17(1) देखिए]

मासिक स्टॉक रजिस्टर

विष का नाम .....

प्राप्ति					**प्रदाय**				
अनु-क्रमांक	स्टॉक में अतिशेष	दिनांक	जिस व्यक्ति से प्राप्त किया उसका नाम और पता	प्राप्त की गई मात्रा	योग	दिनांक	बेची गई मात्रा	स्टॉक में अतिशेष	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्ररूप-च

(नियम 18 देखिए)

प्रिसक्रिप्शन (Prescription) रजिस्टर का प्ररूप

अनु-क्रमांक	दिनांक	रोगी का नाम	आयु	पता	मूल प्रस्तुत किये गये प्रिसक्रिप्शन की विवरण सहित प्रतिलिपि	विष का नाम	प्रिसक्रिप्शन में उपयोग किए विष की मात्रा	वितरक केमिस्ट के आद्यक्षर	अनुज्ञप्ति धारक के हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

No. F-10-37-2014-17-मेडि.-2.—WHEREAS, a draft of Rules was published as required by sub-section (2) of Section 8 of the Poisons Act, 1919 (No. 12 of 1919) vide notification of the Government of Madhya Pradesh, Public Health and Family Welfare Department No. F-10-37-2014-17 Medi-2 dated 28th May, 2014, in the Gazette of Madhya Pradesh Extra Ordinary dated 28th May 2014, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date of its publication in the office Gazette.

AND WHEREAS, no comments or suggestions have been received from the public on the same draft rules.

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 read with Section 2 of the Poisons Act, 1919 (No. 12 of 1919), the State Government, hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Poisons (Possession and Sale) Rules, 2014.

(2) They shall extend to the whole of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) "Act" means the Poisons Act, 1919 (No. 12 of 1919);

(b) "Dealer" means a person holding licence under these rules;

(c) "Form" means a forms appended to these rules.

(d) "Licensing Authority" means the District Magistrate of the District who grants licence under these rules;

(e) "Licensee" means a holder of a licence;

(f) "Schedule" means the schedule appended to these rules;

(g) "Sale" means any sale,—

(i) by one licensed dealer to another dealer; or

(ii) by a licensed dealer to any educational institution; or

(iii) to any researcher; or

(iv) to any medical institution or hospital or dispensary under a qualified medical practitioner (registered Medical Practitioner); or

(v) to any recognised public institution or industrial firm (requiring poisons for its own use); or

(vi) to Government departments; or

(vii) to public sector undertakings; or

(viii) to an individual for personal use.

3. **List of Poisons.**—The list of poisons specified in the Schedule shall be deemed to be poisons for the purposes of these rules.

4. **Prohibition of sale or possession of poison without a licence.**—Unless exempted under the provisions of the Act, no person shall sell or possess for sale any poison specified in the Schedule except under and in accordance with the conditions of a licence in Form-A granted or renewed in that behalf by the District Magistrate.

5. **Display of rules on the place of business.**—A copy of these rules shall be displayed at the prominent place of business specified in the licence granted under rule 4.

6. **Application for grant or renewal of licence.**—(1) Every person desiring for the grant of licence or renewal of a licence shall make a written application to the Licensing Authority in Form-B and such application shall bear a court fee stamp of one hundred rupees:

Provided that any application for renewal of a licence which is made less than three months prior to the date of expiry of the licence shall bear a court fee stamp of five hundred rupees.

(2) The grant or renewal of a licence to any applicant shall be at the discretion of the District Magistrate whose decision thereon shall be final.

(3) The application for duplicate licence when the original is lost or destroyed shall be made in writing and shall bear a court fee stamp of five hundred rupees.

(4) In the case of any change in the place of business of the licensee, a fresh application for licence shall be made to the Licensing Authority and such application shall bear a court fee stamp of five hundred rupees.

(5) The licensee shall display the licence on the conspicuous part of the place of business.

7. **Duration of Licence.**—Subject to the provisions of rule 8 and 9, a licence granted or renewed under these rules shall remain in force for a period of five years from the date of issue.

8. **Discretion of Licensing Authority.**—A licence may be cancelled or revoked at any time. The grant/renewal/ cancellation/revocation of a licence shall be in the discretion of the Licensing Authority:

Provided that the Licensing Authority shall give an opportunity to the applicant or the licensee to show cause, if any, against the action proposed to taken. The Licensing Authority shall record in writing the reasons for refusing to grant or renew a licence or for cancelling or revoking a licence:

Provided further that when the application to grant new licence has been rejected or the licensee has been refused to renew the licence or the licence has been cancelled or revoked and the applicant or the licensee is aggrieved by an order of Licensing Authority, the applicant or the licensee may file an appeal to the Secretary to Government of Madhya Pradesh, Public Health and Family Welfare Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal.

9. **Termination of Licence.**—A licence shall be terminated on the death of the licence holder or on the winding up of firm or Company or the transfer of the business of such firm or company:

Provided that, if the business carried on by the licensee as such of the firm or company is transferred as a going concern and the transferee applies for a fresh licence, with court fee stamp of one hundred rupees, within fourteen days of the date of transfer, the subsisting licence shall continue to be in force until a new licence has been granted or the application for fresh licence is rejected by the licensing authority.

10. **Disposal of stock on termination, revocation or cancellation of licence.**—In the event of revocation or cancellation of the licence under rule 8 or in the event of the termination of licence under rule 9, the stock of poison may be sold to any other licence holder within a period of three months from the date of such termination, revocation or cancellation of the licence, if the whole stock of poison is not sold the remaining poison may be destroyed under the orders of the Licensing Authority. The proceeds of the sale, shall be made over to the legal representative of the deceased licence holder or, liquidator of the dissolved firm or company or the transferee of the firm or company, as the case may be.

11. **Power to inspect poisons and registers.**—Any Magistrate or a Police Officer not below the rank of Sub-Inspector or any Revenue officer not below the rank of a Naib Tahsildar or a Medical Officer not below the rank of Assistant Surgeon appointed by the State Government or an Inspector appointed under section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940) may at any time enter the premises of the licence holder where a poison is kept for sale and may inspect all poisons found therein and the registers maintained under these rules and may record his remarks in an inspection book which shall be kept by the licence holder for this purpose.

12. **Licence to whom granted.**—(1) A licence shall be granted only to a person who in the opinion of the Licensing Authority is competent to conduct business of poisons.

(2) The licence shall be issued in the name of proprietor or if the licence is issued to a firm or company, it shall always be in the name of the partners or Directors of the company. The name(s) of authorised representative (s), if any shall also be mentioned therein.

(3) The name or names so given may be altered or amended by the Licensing Authority on a written application from the firm or company and such application shall bear a court fee stamp of one hundred rupees.

13. Sale of Poison.—(1) Every sale of poisons, shall, as far as practicable, be made by the licence holder in person or where the licence holder is a firm or a company, through or under supervision of an authorised representative of such firm or company.

(2) A person holding licence for possession and sale of poisons granted under these rules shall store and sell poisons from the premises specified in the licence.

14. **Persons to whom poisons may be sold.**—(1) A licence holder shall not sell any poison to any person, other than a licence holder under these rules, unless he is personally known to him, or who identified to his satisfaction by producing a photo identity card issued by any Government Department which has his address or which substantiate it with a document giving his address and produces a permit in Form-C issued by the concerned Sub-Divisional Magistrate (Revenue). He shall also ascertain before selling any poison, the name, telephone number and address of the purchaser and the purpose for which the poison is purchased. He shall also not sell any poison to any person who appears to him to be under the age of eighteen years or to any person who does not appear to him to be in full possession of his faculties.

(2) No licence holder shall sell the poison named in the permit in Form- C except in quantities specified therein. The permit as well as a photocopy of identity card produced by the purchaser as specified in sub-rule (1) above shall be retained by the licence holder.

(3) Any person desirous of obtaining a permit in Form- C shall make an application in writing to the concerned Sub-Divisional Magistrate (Revenue) in Form- D. The permit shall be valid only for a period of one month from the date of issue. After the expiry of the validity date, fresh application shall be made for obtaining the permit.

(4) The Sub-Divisional Magistrate (Revenue) may grant the permit or reject the application for obtaining permit:

Provided that the applicant, whose application for permit under this rule has been rejected, is aggrieved by an order passed by the concerned Sub-Divisional Magistrate (Revenue) may file an appeal to the District Magistrate.

15. **Purchase or possession of poisons by a medical or veterinary Practitioner.**—Nothing contained in these rules shall apply to the purchase or possession of any poison required by a medical or veterinary practitioner for bonafide use in the exercise of his profession as such.

16. Register of Sale of Poisons.—(1) Every licence holder shall maintain a register in which he shall enter correctly all sales of poison other than those used by a Chemist, Druggist or compounder for dispensing or compounding in compliance with the prescription of a qualified medical or veterinary practitioner. The following particulars shall

be entered in the register in respect of such sale, namely:

(a) Serial Number;

(b) Name of poison;

(c) Quantity sold;

(d) Date of sale;

(e) Name, address and age of the purchaser, serial number of the photo identity card produced and the name of the issuing authority, number and date of permit and the name of the issuing authority;

(f) Purposes for which the poison is required by the Purchaser;

(g) Signature of the purchaser or (thumb impression if illiterate) or in the case of purchase by post, date of letter and reference of the original file in which it is preserved; and

(h) Signature of the dealer.

(2) In other part of the register and in the respective column of poison quantity of each poison sold shall be entered. These entries shall be filled up from day to day.

(3) In the register prescribed under item (h) of sub-rule (1), the signature shall be done by licence holder. When the licence holder is a firm or company, the authorised representative of such firm or company shall sign at the time of sale or dispatch to the purchaser. Such signature shall be held to imply that the signatory had satisfied himself that the requirement of rule 14 have been fulfilled.

(4) All letters or written orders referred to in item (g) of the register shall be preserved in original by the licence holder for a period of not less than two years from the date of the sale.

17. **Stock Register.**—(1) The licence holder shall maintain a stock register in Form- E of each poison.

(2) The stock register shall be balanced daily.

18. **Prescription Register.**—Every dispensing chemist and druggist or medical practitioner who makes up his own prescription shall maintain a prescription register in Form-F.

19. **Custody of poisons kept for sale and labelling of receptacles in which they are kept.**—All poisons kept for sale under these rules by any licence holder shall be kept securely in a box, almirah, room or building (according to the quantity maintained) which shall be secured by lock and key in which no substance shall be placed other than poisons possessed in accordance with a licence granted under the Act, and each poison shall be kept securely within such box, almirah, room or building in a separate closed receptacle of glass, plastic, metal or earthen ware. Every such box, almirah, room or building and every such receptacle shall be marked with the word **"Poison"** in red letters, both in English and in the local language and in the case of receptacles containing separate poisons, with name of such poison.

20. **Poisons sold to be securely packed and labelled.**—When any poison is sold it shall be securely packed in a closed receptacle or container (according to the quantity) in such a manner that the poison packed therein may be used only after breaking the seal and this seal does not remain usable thereafter. Every such receptacle or packet shall be labelled by the licensee with a red label bearing in English and in local language giving the name of the poison. The name and address of the licensee, licence number, date of packing, date of expiry shall be mentioned in the receptacle or contained it shall be mentioned the precautions to be taken in the use. The permit number and date of permit, word " POISON " and a note of caution that "this poison is harmful to human life and shall be kept out of reach of children" shall be mentioned. The purchaser shall store and use this poison on his own responsibility and the purchaser shall be primarily responsible in case of misuse of this poison by somebody else. The following universal warning symbols shall also be displayed on the receptacle.

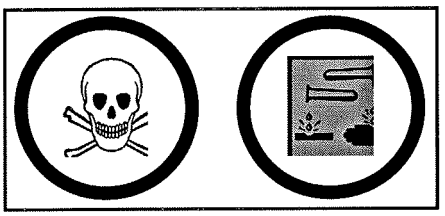

21. **Security, storage and incident management of acids/corrosive substances by users (Except Individuals).**—A standard operating procedure (SOP) outlining the measures undertaken for security, storage and incident management of acids / corrosive substances shall be prepared and displayed prominently in the premises of the user.

(i) **Security of acid / corrosive substances:**—(a) A person shall be accountable for possession and safe keeping of acid in the premises.

(b) The storage of acid / corrosive substances shall be under the supervision of the person.

(c) The storage of acid / corrosive substances shall be under double lock system to ensure more security.

(d) A register of usage of acid /corrosive substance shall be maintained and the same shall be filed with the concerned Sub-Divisional Magistrate (Revenue) every year in the month of April, July, October and December prior to the fifth day of these months. The following details shall be mentioned in the register :

(i) Serial Number.

(ii) Name of Acid /Corrosive substance

(iii) Opening balance

(iv) Quantity received

(v) Total quantity

(vi) Quantity used

(vii) Purpose of use

(viii) Closing balance

(ix) Remarks.

(e) There shall be compulsory checking of the students / personnel leaving the laboratories / place of storage where acid / corrosive substance is used / or stored.

(ii) **Storage of acid / corrosive substances:**—(a) The chemicals should be stored in plastic or other suitable containers.

(b) All containers should be labelled to indicate the identity of the chemicals and the hazards involved and the precautions to be taken should be mentioned.

(c) Incompatible chemicals should not be stored together.

(d) The inventory of corrosive chemicals should be kept to a minimum.

(e) Protective gloves, aprons safety glasses and face shields should be worn where appropriate.

(f) Acid should diluted with care -always add acid to water never add water to acid.

(iii) **Incident Management:**—(a) **Skin Contact.**—Quickly take off contaminated clothing, shoes and leather goods (e.g. watchbands belts). Quickly and gently blot or brush away excess chemical. Immediately flush with lukewarm, gently flowing water for at least 30 minutes. DO NOT INTERRUPT FLUSHING. If it can be done safely, continue flushing during transport to hospital. Immediately call a poison centre or doctor. Treatment is urgently required.

(b) **Eye Contact.**—Avoid direct contact. Wear chemical protective glasses if necessary. Quickly and gently blot or brush chemical of the face. Immediately flush the contaminated Eye (s) with lukewarm, gently flowing water for at least 30 minutes while holding the eyelid (s) open. If a contact lens is present. , DO NOT delay flushing or attempt to remove the lens. Neutral saline solution may be used as soon as it is available. DO NOT INTERRUPT FLUSHING. If necessary, continue flushing during transport to hospital.

(c) **Ingestion.**—Have victim rinse mouth with water. If vomiting occurs naturally, have victim lean forward to reduce risk of aspiration. Have victim rinse mouth with water again. Immediately call a poison centre or doctor. Treatment is urgently required. Transport to a hospital.

(d) **Inhalation.**—Take precautions to ensure own safety before attempting rescue (e.g. wear appropriate protective equipment). Move victim to fresh air. Keep at rest in a position comfortable for breathing. If breathing is difficult, trained personnel should administer emergency oxygen. DO NOT allow victim to move about unnecessarily. Symptoms of pulmonary edema may be delayed. Immediately call a poison centre or doctor. Treatment is urgently required. Transport to a hospital.

22. **Sale of powered Arsenic.**—A licence holder shall not sell powdered white arsenic to any person, except to a medical or veterinary practitioner or chemist who requires pure arsenic for his legitimate purposes.

23. **Sale and possession for sale of tetraethyl Lead.**—Nothing in these rules shall apply to the sale and possession for sale of tetraethyl lead (or ethyl fluid) when it is mixed with petroleum provided that the following conditions are complied :—

(i) every can and pump of poison shall be labelled to indicate the presence of the poison in the petroleum to warn the user to avoid spillages and to prohibit its use for other purposes than motor fuel;

(ii) the mixture shall be dyed so as to provide an additional check against its use otherwise than as motor fuel; and

(iii) the amount of the said poison in the mixture shall not exceed 1 part in 1800 parts by volume and 1 part in 650 parts by weight.

24. **Repeal and savings.**—All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules:

Provided that anything done or any action taken under the rules so repealed shall unless such thing or action is inconsistent with any of the provisions of these rules be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE
(see rule 3)

Uniform State Poisons List :

(i) List of Acids and Corrosive Substances :—

1. Acetic acid beyond 25% concentration by weight
2. Acetic anhydride
3. Formic acid beyond 10% concentration by weight
4. Hydrocyanic acid except substances containing less than 0.1% weight in weight of Hydrocyanic Acid.
5. Oxalic acid
6. Perchloric acid
7. Phosphoric acid
8. Hydrochloric Acid beyond 5% concentration by weight
9. Hydrofluoric acid
10. Nitric Acid except substances containing less than 5% weight in weight of Nitric Acid
11. Sulphuric Acid beyond 5% concentration by weight
12. Ammonia except substances containing less than 5% weight in weight of Ammonia
13. Antimony, compounds of antimony, both organic and inorganic
14. Arsenic, Arsenic white, Arsenic yellow, Red Arsenic, Arsenic sulphide, Copper Arsenite, (Scheole's green), Copper Acetoarsenite(Paris green), Calcium Arsenate, Calcium Arsenite, Copper Arsenate, Potassium Arsenite, Sodium Thioarsenate, Arsenical solution, and acid solution of Arsenic, Arsenic bromide.
15. Chloride of mercury(Corrosive Sublimate)
16. Chloroform except substances containing less than 10 % of Chloroform
17. Formaldehyde (beyond 25% concentration by weight)
18. Hydrogen peroxide(beyond 50% concentration by weight)
19. Lead Acetates Compounds of lead with acids from fixed oils
20. Lead arsenate
21. Mercuric nitrate
22. Mercuric sulphocyanide
23. Mercury
24. Mercury ammonium chloride
25. Mercury chloride, except substances containing less than 1 % weight in weight of Mercury chloride
26. Mercury iodide, except substances containing less than 2 % weight in weight of Mercury iodide
27. Mercury organic, except substances containing less than the equivalent of 0.20 % weight in weight of Mercury (Hg).

28. Mercury oxides of

29. Mercury oxycyanide

30. Mercury potassium iodide except substances containing less than the equivalent of 1% weight in weight of Mercury (Hg).

31. Phenol (beyond 3% concentration by weight).

32. Phenols (any member of the series of phenols of which the first member is phenol and of which the molecular composition varies from member to member by one atom of carbon and two atoms of hydrogen) except substances containing less than 60% weight in weight of Phenol.

33. Phenyl Mercuric acetate except substances containing less than the equivalent of 0.2% weight in weight of Mercury (Hg).

34. Phenyl Mercuric Chloride except substances containing less than the equivalent of 0.2% weight in weight of Mercury (Hg).

35. Phenyl Mercury Urea

36. Potassium Hydroxide except substances containing less than 2% weight in weight of Potassium Hydroxide.

37. Red lead (red oxide of lead)

38. Sodium Hydroxide except substances containing less than 2% weight in weight of Sodium Hydroxide.

39. Sodium Hypochlorite (beyond 5% concentration by weight)

40. White Lead (Lead Carbonate)

41. Zinc Chloride

42. Zinc Phosphide

43. Potassium Fluoride

44. Sodium leaves

45. Sodium Oxalate, Ammonium Oxalate and other metallic Oxalates

46. Di - Nitro Benzene

47. Di - Nitro Cresols, their compounds with a metal or a base

48. Di - Nitro naphthols, Di – Nitro Phenols, Substituted Di – Nitro Phenols and Di – Nitro Thymols\

49. Di - Nitro toluenes.

(ii) **List of other poisons :—**

1. Aconite
2. Alpha naphthythioureas
3. Amition
4. Abrus precatorius, seeds of (Gunj or Rati).
5. Argemona seeds and its oil
6. Barium, Salts of; except Barium sulphate.

7. Belladonna and all preparations and admixtures containing Belladonna except Belladonna plasters and substances containing less than 0.15 % of the alkaloids of Belladonna calculated as Hyoscyamine.

8. Cannabis Indian.

9. Chloro-nitrobenzene (ortho-Chloro nitrobenzene, meta-Chloro nitrobenzene para-Chloronitrobenzene)

10. Chrysophanic acid

11. Cresote except substances containing less than 50% weight in weight of Cresote.

12. Croton, oil Seeds of

13. Coculus indicus (Kakamari)

14. Cupric acetate (verdigris).

15. Cyanide of Potassium, Cyanide of Sodium and Cyanide of Calcium

16. Digitalis

17. Dhatura, Seeds and leaves of (Stramonium); all preparations and admixtures containing Dhatura except substances containing less than 0.15% of the alkaloids of Dhatura calculated as Hyoscyamine.

18. Diazinon

19. Dieldrin

20. Dinosab ; its compounds with a metal or a base.

21. Dinosam ; its compounds with a metal or a base.

22. DNOC (Di – Nitro ortho - compound)

23. Endrin

24. Ergot (the sclerotia of any species of claviceps)

25. Ethoxy ethyl mercury chloride

26. Ethyl Mercury Phosphate

27. Heptachlor

28. Hyoscyamus (Henbane or Khurasani AJVAYAN) Leaves

29. Marking Nut (fruit of semicarpus anacardium also known as Bhilawa)

30. Metasystoc

31. Methanol

32. Methyl bromide

33. Nitrobenzene

34. Nuxvomica Seeds of; preparations and admixtures containing Nuxvomica, except substances containing less than 0.2% weight in weight of alkaloids of nuxvomica.

35. Opium; all preparations and admixtures containing Opium except substances containing less than 0.2 % of the of morphine calculated as anhydrous morphine.

36. Phenylene diamines, toluene Diamines other alkylated benzene Di amines, their salts

37. Phosphorus Compounds, the following :-

38. Demeton, Methyl Demeton, Hexa Ethyl Tetra Phosphate (HETP); Tetra ethyl Pyrophosphate (TEPP), Ethyl Pyro Phospherethionate (Sulfotepp); Octamethyl Phosphorodiamidic Anhydride (CMPA) or (Schradan), Parathion, Methyl Parathion, Phosdrin, Phostoxin (Hydrogen Phosphide), Gusathion(Guthion), Trithion

39. Phosphorus yellow

40. Poppy all preparations of , expect red poppy petals

41. Sodium mono Fluroacetate

42. Sodium Nitrite

43. Strammonium

44. Strychnine and its salts except substances containing less than the equivalent of 0.2 % weight in weight of Strychnine

45. Systox

46. Tartar emetic except substances containing less than the equivalent of 1 % of Tartar emetic

47. Tetra Ethyl lead

48. Thallium, salts of

49. Thimet

50. Tri ortho cresol phosphate

51. Warferin

52. Chloro Ortho Toluidine

Note.—"Preparations containing any of the above poisons are also covered by this list".

FORM A
(see rule 4)

Photograph of Licence holder/ Authorised Represntative

Licence for possession and sale of Poisons

Register No ..... Licence No.....of .....Name of Licensee's Shop ..... Date of Grant .....Complete Address of Shop .....Valid up to .....Shri/ Smt. /Ku. .....S/o W/o D/o of Shri .....Carrying on business on the above address in the ..... (Name of local body) under ..... Police station of ..... District is hereby licensed to possess for sell and to sale the following poisons namely:—

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Name(s) of authorised representative .....

This licence is subject to the conditions specified below. The breach of any of which shall involve forfeiture of the licence as well as liability to the penalties provided under section 6 of the Poisons Act, 1919 (No. 12 of 1919).

This licence will remain in force from the date of grant for a period of five years unless previously terminated due to death of the licence holder or cancelled by the licensing authority concerned.

Signature.....
licensing authority (District Magistrate)
Seal

CONDITIONS

1. The licensee shall keep his licence at his shop.

2. The licensee shall have constantly fixed upon a conspicuous part of the front of his shop a sign board bearing in legible letter in the language of the district, his name, the number of his licence and words "licensed to sell or possess for sale poisons".

3. The licensee shall be responsible for all his acts and acts of his agents or servants.

4. Subject to the provisions of rules 8 and 9, a licence granted or renewed on any day shall remain in force for a period of five years. Every applicant for the grant or renewal of a licence shall make a written application to the Licensing Authority and such application shall bear a court fee stamp of Rupees One hundred:

Provided that any application for renewal of a licence which is made less than three months prior to the date of expiry of the licence shall bear a court fee stamp of Rupees Five hundred.

5. A licence shall be terminated on the death of the licence holder or on the winding up of firm or company or the transfer of the business of such firm or company.

6. The Licensing Authority may, for any sufficient cause revoke or cancel any licence.

7. Every sale of a poison shall, so far as possible, be conducted by the licence holder in person or where the licence holder is a firm, or a company through or under the supervision of an authorised representative of such firm or company.

8. (1) Other than to a licence holder under these rules, a licence holder shall not sell any poison to any person, unless he is personally known to him, or who identified to his satisfaction by producing a photo identity card which has his address or which substantiate it with a document giving his address and produces a permit (in Form C) issued by the concerned Sub Divisional Magistrate (Revenue). He shall also ascertain before selling any poison the name, telephone number and address of the purchaser and the purpose for which the poison is purchased. He shall also not sell any poison to any person who appears to him to be under the age of eighteen years or to any person who does not appear to him to be in full possession of his faculties.

(2) No licence holder shall sell the poison named in the permit in form C except in quantities specified therein. The permit as well as a photocopy of identity card produced by the purchaser as specified in clause (1) above shall be retained by the licence holder.

9. (1) Every licence holder shall maintain a register in which he shall enter correctly all sales of poison other than those used by a chemist and druggist or compounder for dispensing or compounding in compliance with the prescription of a qualified medical or veterinary practitioner. The following particulars shall be entered in the register in respect of each sale namely :—

(a) Serial Number;

(b) Name of poison;

(c) Quantity sold;

(d) Date of sale;

(e) Name, address and age of the purchaser, serial number of the photo identity card produced and the name of the issuing authority, number and date of permit and the name of the issuing authority;

(f) Purposes for which the poison is required by the purchaser;

(g) Signature of purchaser (or thumb impression if illiterate) or in the case of purchase by post, date of letter received and reference of the original file in which it is preserved; and

(h) Signature of dealer.

(2) In other part of the register and in the respective column of poison quantity of each poison sold shall be entered. These entries shall be filled up from day to day.

(3) The signature under column (h) of the register shall be done by the licence holder. When the licence holder is a firm or company, the authorised representative of such firm or company shall sign at the time of sale or dispatch to the purchaser. Such signature shall be held to imply that the signatory had satisfied himself that the requirements of rule 14 have been fulfilled.

(4) All letters or written orders referred to under item (g) of the register shall be preserved in original by the licence holder for a period of not less than two years from the date of the sale.

10. (1) The licence holder shall maintain a stock register in Form E of each poison. The Stock register shall be balanced daily. The Form-E shall contain the following particulars:—

(a) Serial No.

(b) Balance in stock

(c) Date

(d) Name and address of person from whom Quantity received

(e) Quantity received.

(f) Total

(g) Date

(h) Quantity sold

(i) Balance in stock

(j) Remarks

11. Any Magistrate or a police officer not below the rank of Sub Inspector or any Revenue officer not below the rank of a Naib Tahsildar or a Medical Officer not below the rank of Assistant Surgeon appointed by the State Government or an inspector appointed under section 21 of the Drugs and cosmetics Act, 1940 (Central Act No. 3 of 1940) may at any time enter the premises of the licence holder where a poison is kept for sale and may inspect all poisons found therein and the registers maintained under these rules and may record his remarks in an inspection book which shall be kept by the licence holder for this purpose.

12. All poisons kept for sale under these rules by any licence, holder shall be kept securely in a box, almirah, room or building (according to the quantity maintained) which shall be secured by lock and key in which no substance shall be placed other than poisons possessed in accordance with a licence granted under the Act, and each poison shall be kept securely within such box, almirah, room or building in a separate closed receptacle of glass, plastic metal or earthen ware. Every such box almirah, room or building and every such receptacle shall be marked with the word "POISON" in red letters, both in English and in the local language and in the case of receptacles containing separate poisons, with name of such poison.

13. When any poison is sold it shall be securely packed in a closed receptacle or container (according to the quantity) in such a manner that the poison packed therein may be used only after breaking the seal and this seal does not remain usable thereafter. Every such receptacle or packet shall be labelled by the licensee with a red label bearing in English and in local language giving the name of the poison. The name and address of the licensee, licence number, date of packing, date of expiry, shall be mentioned. It shall be mentioned the precautions to be taken in the use. The permit number and date of permit, word " POISON " and a note of caution that this poison is harmful to human life and shall be kept out of reach of children. The purchaser shall store and use this poison on his own responsibility and the purchaser shall be primarily responsible in case of misuse of this poison by some body else. The universal warning symbols as specified in rule 20 shall also be displayed on the receptacle.

14. The licensee shall forthwith give information at the nearest police station of the loss or theft of any quantity of any poison.

15. The licensee shall comply with all orders and directions consistent with the rules that may be given by the authority granting the licence.

16. The licence shall be held subject to the conditions mentioned above and to the provisions of the Act and of any rules from time to time made under the Act.

17. The licensee, if he intends to sell or possess for sale any poison for medicinal use will first obtain a requisite licence as required under section 18 (c) of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940).

Note.—A poison for medicinal use means a drug as defined in section 3 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940).

FORM—B
(see Rule 6)

STAMP
OF
RS 100/-

To,

The Licensing Authority
District .....
Madhya Pradesh

Application for Grant / Renewal of Licence for possession and sale of Poisons

1. Name of the applicant .....
2. Name of Father / Husband .....
3. Residential Address of applicant .....
4. Age of applicant .....
5. Name of shop / firm .....
6. Complete Address of premises including shop number, floor, plot number, Road, locality of Shop / Firm where poisons are proposed to be stored and sold .....
.....
7. **Details of applicant :** Proprietorship / Partnership Firm /Registered Society / Private Limited company / Limited Company. (Tick √As Applicable).
8. Self attested photocopy of Partnership deed / Registration / Memorandum of articles of association is enclosed. (Tick √As Applicable)
9. Details of Proprietor / Partners / Directors:
   1) Name. .....
   2) Name of Father /Husband.....
   3) Age ..... 4. Telephone Number
   ..... (In case of more than one person, details to be enclosed in separate sheet).
   4) Self attested photocopy of Document pertaining to identity of Proprietor / Partners / Directors such as Aadhar card / Voter Identity card / Bank Account / Government issued ID is enclosed. (Tick √As Applicable)

10. Name and Address of authorised representative of the Firm other than proprietor of Firm responsible for sale, (If any) .....

11. Self attested photocopy of relevant Aadhar card / Voter Identity card / Bank Account, Government issued ID of authorised representative of the firm is enclosed. (Tick √As Applicable)

12. Copy of plan of premises is enclosed.

13. Self attested copy of documents pertaining to the Status of right of possession of premises such as Rental / Own / Other status is enclosed. (Tick √As Applicable).

14. Name of the poison which is proposed to be possessed and sold .....
.....

15. Licence No..... and date of its validity .....(Applicable for renewal application)

16. Self attested photocopy of licence is enclosed .

(Applicable for renewal application)

Place .....
Date .....

(Name and Signature of applicant)

Note.—Applicant shall furnish three copies of self attested passport size photograph alongwith the application.

FORM C
(See rule 14 (1)
Permit for the purchase of a poison
COUNTER FOIL
(To be retained in the office)
Permit No.....

Name and complete address of the Person to whom issued .....
.....
.....

Quantity and the name of poison for which permit is issued .....
.....

Purpose.....

Date on which issued .....

Date of expiry .....

If not used before earlier date the permit shall expire on .....

Seal and Signature of Issuing Authority

FORM C
(See rule 14 (1)
Permit for the purchase of a poison
Permit No.....

Name and complete address of the Person to whom issued .....
.....
.....

This permit entitles the person above named to purchase the .....(Name of Poison)

Quantity not exceeding.....
.....

Purpose.....

Date on which issued .....

This permit shall expire on.....

If not used before earlier date .....

Seal and Signature of Issuing Authority

FORM - D
[(See rule 14(3)]

To,

The Sub-Divisional Magistrate

.....

Madhya Pradesh

Application for Grant of Permit for purchase of Poisons

1. Name of the applicant .....
2. Name of Father / Husband .....
3. Name of a firm / Institution .....
   .....
   .....
4. Residential Address of applicant .....
5. Complete Address of premises including shop number, floor, plot number, Road, locality of Shop / Firm where poisons are proposed to be stored and used .....
   .....
6. Age of applicant .....
7. Details of applicant: Proprietorship / Partnership Firm /Registered Society / Private Limited company / Limited Company. (Tick √As Applicable).
8. Self attested photocopy of Partnership deed / Registration / Memorandum of articles of association is enclosed. (Tick √As Applicable)
9. Details of Proprietor / Partners / Directors :
   (a) Name .....
   (b) Name of Father / Husband.....
   (c) Age .....
   (d) Telephone Number .....
   (In case of more than one person, details to be enclosed in separate sheet).
10. Self attested photocopy of Document pertaining to photo identity of Proprietor / Partners / Directors such as Aadhar card / Voter Identity card / Bank Account/Government issued ID is enclosed. (Tick √As Applicable)
11. Name and Address of authorised representative of the Firm responsible for purchase, use, maintenance of records and registers and checking, (If any) .....
12. Letter of Authority issued in favour of authorised representative of the firm is enclosed
13. Self attested photocopy of relevant Aadhar card / Voter Identity card / Bank Account/ Government issued ID of authorised representative of the firm is enclosed. (Tick √As Applicable)
14. Copy of plan of premises is enclosed.
15. Documents pertaining to the Status of right of possession of premises: such as Rental / Own / Other status is enclosed. (Tick √As Applicable).
16. Name of the poison and its quantity which is proposed to be purchased and used .....
17. Purpose of purchase (with details) .....

(Name and Signature of applicant)

Note.—Applicant shall furnish three copies of self attested passport size photograph alongwith the application.

FORM - E
[See Rule 17 (1)]

Monthly Stock Register

Name of Poison .....

Receipts					Issue				
Serial No.	**Balance In stock**	**Date**	**Name and address of Person from Whom Received**	**Quantity Received**	**Total**	**Date**	**Quantity Sold**	**Balance in Stock**	**Remarks**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**

FORM – F
(See rule 18)

Form of Prescription Register

Serial No.	**Date**	**Name of Patient**	**Age**	**Address**	**Prescription to be copied in detail from the original presented**	**Name of Poison**	**Quantity of Poison used in Prescription**	**Initials of dispensing Chemist**	**Signature of Licence holder**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार तोमर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.